"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2003—ज्येष्ठ 16, शक 1925

विषय--सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2003

क्रमांक **एफ 2-33/2003/1-8.**—श्री संजय कुमार ओझा, भा. व. से., **की सेवायें वन विभाग से** प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उन्हें संचालक, राज्य **शैक्षणिक अनुसंधान एवं** प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु शिक्षा विभाग को सौंपी जाती है.

2. उपर्युक्तानुसार श्री ओझा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें पदेन उप-सचिव, छ. ग. शासन, शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2003

क्रमांक 971/2003/1-8.—श्री रामप्रकाश (भा. व. से.) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 19-5-2003 से 4-6-2003 तक 17 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 16, 17 एवं 18-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामप्रकाश को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. श्री रामप्रकाश, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. एस. मूर्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ देखेंगे.

4. अवकाश अवधि में श्री रामप्रकाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामप्रकाश, भा. व. से. अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक ई-1-6/2003/1/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से. (1978) को प्रमुख सचिव वेतनमान रु. 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव के वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 344/2003/1-8.—श्री निरंजन दास, (रा. प्र. से.) उप-सचिव, गृह विभाग को दिनांक 2-6-2003 से 13-6-2003 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 14 एवं 15-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दास को उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री निरंजन दास, (रा. प्र. से.) अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2003

क्रमांक बी-1/19/2003/4/एक.—श्री आर. एस. ठाकुर (RR-86) स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री डी. डी. सिंह (RR-84) अपर कलेक्टर, दुर्ग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मई, 2003

क्रमांक एफ ए. 3-12/2003/एक (1).—राज्य शासन, श्री अरुण कुमार सिविल लाईन, शंकर नगर, रायपुर द्वारा उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से उन्हें मंत्री का दर्जा प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2003

क्रमांक एफ 2-8/2003/1-8.—श्री एस. जी. श्रीवास, अनुभाग अधिकारी, छ. ग. मंत्रालय, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग को उनके कनिष्ठ श्री एस. के. विश्वकर्मा द्वारा अवर सचिव के पद पर तदर्थ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें राजस्व विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. उपरोक्तानुसार तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप तदर्थ पदोन्नति पद पर इनका वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जायेगा. तदर्थ पदोन्नति पद का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक का "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर कोई वेतन एरियर देय नहीं

होगा. तदनुसार इन्हें पदोन्नति पद का वास्तविक लाभ इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

3. तदर्थ पदोन्नति आदेश की शेष शर्तें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-3-2003 के अनुसार पूर्ववत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 1078/2003/1-8/स्था.—श्री वाय. एस. बेले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 13-1-2003 से 3-2-2003 तक 22 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेले को अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाय. एस. बेले, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 524/597/2003/1/एक.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1462/248/एक (1) दिनांक 2 अप्रैल, 1664 एवं तत्पश्चात् प्रसारित आदेश क्रमांक एफ-ए-1-22/97/एक (1) दिनांक 24 अप्रैल, 1998 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य पूर्वता सारणी के सरल क्रमांक-23 निम्नानुसार पढ़ा जावें :—

आर्टिकल क्रमांक	नाम
23	(1) राज्य के केबिनेट मंत्री (2) उच्च न्यायालय के प्यूनि न्यायाधीश. (3) राज्य चुनाव आयुक्त, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमाक 342/2003/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, तत्कालीन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग को दिनांक 23-1-2003 से 29-1-2003 तक 7 दिन एवं दिनांक 12-5-2003 से 31-5-2003 तक 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 1-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेक को अवर सचिव, आदिम-जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक, अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 346/2003/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-5-2003 से 31-5-2003 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 1-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2003

क्रमांक 1196/995/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री शैलेन्द्र कुमार पाठक, प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी., संचालक, संस्थागत वित्त,

पदेन विशेष सचिव, वित्त को दिनांक 2-6-2003 से 13-6-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-6-2003 एवं 14, 15-6-2003 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री पाठक को अवकाश से लौटने पर प्रबंध संचालक, छ. ग. अधोसंरचना विकास निगम, संचालक संस्थागत वित्त, पदेन विशेष सचिव, वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. इस विभाग के आदेश दिनांक 9-5-2003 में कालम (3) एवं (4) यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2003

क्रमांक 1232/1020/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चिप्स) को दिनांक 3-5-2003 से 14-5-2003 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16, 17 एवं 18-5-2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल को संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उच्च शिक्षा विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चिप्स) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 1236/1065/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री सरजियस मिंज, सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को 26-5-2003 से 7-6-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-5-2003 एवं 8-6-2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज को सचिव, छ. ग. शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री मिंज के अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. पी. राघवन, प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 1247/1062/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री व्ही. के. कपूर, आयुक्त, कोष एवं लेखा, लाटरी एवं अल्प बचत एवं पदेन सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर को 4-6-2003 से 10-6-2003 तक (7 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. कपूर को आयुक्त, कोष एवं लेखा, लाटरी एवं अल्प बचत एवं पदेन सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री व्ही. के. कपूर को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. कपूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2003

क्रमांक डी/3318/978/21-ब.—अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 9 सन् 1982) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार छ. ग. स्टेट बार कौंसिल को अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प क्रमशः चा[illegible] रुपये एवं दस रुपये के मुद्रित करवाने के लिए जिसमें शब्द "छ. ग. अधिवक्ता कल्याण निधि" मुद्रित होगा, अधिकृत करती है.

उपरोक्त टिकटों का वितरण अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किया जावें.

Raipur, the 22nd May 2003

No. D/3318/978/21-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Chhattisgarh Adhivakata Kalyan Nidhi Adhiniyam 1982 (No. 9 of 1982), the State Government hereby authorised to the State Bar Council of Chhattisgarh to print the Adhivakata Kalyan Nidhi Stamps of Rs. 4/- (Rupees four) and Rs. 10 (Rupees ten) bearing the words "Chhattisgarh Adhivakata Kalyan Nidhi Stamp" shall be printed.

And above stamp shall be distributed under provision of sub-section (2) of Section 18 of that Adhiniyam

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 3362/2675/21-ब/दो/2003.—द. प्र. सं. 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कु. सरस्वती गुप्ता, अधिवक्ता, दुर्ग को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र खण्ड के लिये तृतीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

फा. क्र. 3363/2675/21-ब (दो)/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुरेश्वर प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता, दुर्ग को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र खण्ड के लिए चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2003

क्रमांक 3394/1285/21-ब/छ. ग./2003.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर, सी. के. भेलवा, शालोम प्रार्थना भवन, धमतरी को छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में,

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और

(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु) छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 28th May 2003

No. 3394/1285/21-B/C.G./2003.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant licence to the Minister of Religion Pastor, C. K. Bhelva, of Salom Seva Samitee, Dhamtari for Dhamtari district State of Chhattisgarh,

(1) The solemanise marriage, and

(2) To grant certificate of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2003

क्रमांक एफ-21-3/2003/नौ/55.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का क्रमांक 14) द्वारा मूल अधिनियम में अंत: स्थापित धारा 16क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य पर्यवेक्षक मंडल (State Supervisory Board) का गठन करता है. मंडल के कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(1) गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग निर्धारण के फलस्वरूप नारी भ्रूण हत्या के विरुद्ध जनचेतना तैयार करना.

(2) राज्य में कार्यरत समुचित प्राधिकारियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करना तथा उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की अनुशंसा करना.

(3) उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा इस संबंध में मंडल को सुयोग्य अनुशंसाएं करना.

(4) उक्त अधिनियम के तहत राज्य में संचालित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में यथाविहित एकजाई प्रतिवेदन, मंडल एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करना.

(5) उक्त अधिनियम के तहत यथाविहित अन्य कार्य.

2. मंडल में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे :—

1. मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	उपाध्यक्ष (पदेन)
3. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग.	सदस्य (पदेन)
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5. सचिव, विधि विभाग	सदस्य (पदेन)
6. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य (पदेन)
7. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, विधायक, खेरथा.	सदस्य
8. श्रीमती फूलोदेवी नेताम, विधायक, केशकाल.	सदस्य
9. श्रीमती श्यामा ध्रुवा, विधायक, कांकेर.	सदस्य
10. श्रीमती प्रीति शर्मा, रायपुर	सदस्य
11. श्रीमती प्रीति मिश्रा, रायपुर	सदस्य
12. श्रीमती सुमन पाठक, रायपुर	सदस्य
13. श्रीमती किरण तिवारी, रायपुर	सदस्य
14. डॉ. (श्रीमती) शैली पांडे, सिविल सर्जन, रायपुर.	सदस्य
15. डॉ. (कु.) तृप्ति नगरिया, रायपुर	सदस्य
16. डॉ. सुभाष पांडे, शिशु रोग विशेषज्ञ, रायपुर.	सदस्य
17. डॉ. अनूप वर्मा, रायपुर	सदस्य
18. डॉ. राजेश रूपरेला, रायपुर	सदस्य
19. डॉ. राजकुमारी बडवानी, रायपुर	सदस्य
20. संयुक्त संचालक, (परिवार कल्याण) स्वास्थ्य सेवाएं.	सदस्य सचिव (पदेन).

3. मंडल की बैठक चार माह में कम से कम एक बार आयोजित की जावेगी.

4. पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा.

5. मंडल में आवश्यकतानुसार सदस्य सहयोजित किये जा सकेंगे, परन्तु सहयोजित सदस्यों की संख्या मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2003

क्रमांक एफ-5-3/खाद्य/2002/29 —उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की संख्या 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाए गए जिला उपभोक्ता फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

अनु. क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती कुमुद नगरिया, 27, मोहन नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़.	जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग.

Raipur, the 7th May 2003

No. F-5-3 Food/2002/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government on the recommendation of the selection Committee hereby appoint the following person as the member in the District Forum as shown against her name with effect from the date she assumer the charge

of her duties :—

S. No. (1)	Name & Address (2)	District Consumer Forum (3)
1.	Smt. Kumud Nagaria, 27, Mohan Nagar, Durg (Chhattisgarh).	District Consumer Forum, Durg.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

शिक्षा (तकनीकी शिक्षा) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2003

क्रमांक एफ-1-19/2003/42.—प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की 60% सीटों पर छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासियों को प्रवेश, छ. ग. शासन द्वारा, एक केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया अपना कर दिया जायेगा. निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शेष 40% सीटें संबंधित संस्थाएं एक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, पूर्व विज्ञापित एवं पूर्व सूचित प्रक्रिया अपना कर मेरिट के आधार पर भर सकेंगी.

2. केन्द्रीय काउंसिलिंग के एक चरण की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु निर्धारित 60% सीटों में से रिक्त रह गई सीटों को संबंधित संस्थाएं एक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, पूर्व विज्ञापित एवं पूर्व सूचित प्रक्रिया द्वारा मेरिट के आधार पर भर सकेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2003

क्रमांक डी-1977/20, 17/व्हीआईपी/आजाक/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/01, दिनांक 16-1-2001, क्रमांक 2128/2266/आजाक/2001, दिनांक 2-9-2001, क्रमांक 2738/1264/आजाक/2001, दिनांक 11-9-2001, क्रमांक 5806/1959/व्हीआईपी/आजाक/2001, दिनांक 10-12-2001, क्रमांक 1052/83/व्हीआईपी/आजाक/2002, क्रमांक 4154/132, 184/सीएमएस/आजाक/2002, दिनांक 12-8-2002 एवं क्रमांक 5178/2260/सीएमएस/आजाक/2002, दिनांक 22-10-2002 एवं क्रमांक 54/767, 815/व्हीआईपी/आजाक/2002 दिनांक 3-1-2003 के अनुक्रम में निम्नांकित 30 सदस्यों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	जाति (3)	पता (4)
1.	श्री चैतराम साहू	साहू	सदस्य जिला पंचायत, रायपुर.
2.	श्री रामधनी वर्मा	वर्मा	रायपुर
3.	डॉ. शिव नायक	नायक	ग्राम जांगड़ा पो. नयापारा, वि. खं. सिमगा, जिला रायपुर.
4.	श्री खेमू साहू	साहू	ग्राम-पो. गुल्लू वि.खं. आरंग.
5.	श्री पुनित राम निषाद	केंवट	ग्राम-पो. समोदा, वि. खंड आरंग.
6.	श्री चतुर चन्द्राकर	चन्द्राकर	ग्राम-पो. कुटेला, बि. खं. आरंग.
7.	डॉ. मनहरण लाल साहू	साहू	ग्राम परसकोल, वि. खंड आरंग.
8.	श्री शीतल दास मानिकपुरी.	पनिका	ग्राम-पो. बेलतरा व्हाया पाली, जिला बिलासपुर.
9.	श्रीमती सीमा वर्मा	वर्मा	सदस्य जिला पंचायत, रायपुर.
10.	श्री सत्यनारायण निर्मलकर.	धोबी	ब्राम्हणपारा धोबी मुहल्ला रायपुर.
11.	श्री हेमन्त निर्मलकर	धोबी	समता कालोनी, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	श्री श्यामधर कन्नौजे	धोबी	ब्राम्हणपारा सतबहनिया मंदिर के पास, रायपुर.
13.	श्री झग्गालाल बुन्देल	धोबी	बैजनाथपारा, रायपुर
14.	श्री साधुराम नायक	बंजारा	क्वार्टर नंबर 541/3/ए बाल्को, जिला कोरबा.
15.	श्री राधाकृष्ण गुप्ता	सौंडिक	राज इंगलिश स्कूल के पास बैशालीनगर, बिलासपुर.
16.	श्री सरोज गुप्ता	कोलता	ग्राम-पो. लोईग, तहसील व जिला रायगढ़.
17.	श्रीमती प्रेमलता भोई	कोलता	रायपुर
18.	श्री जीवन लाल विश्वकर्मा.	लोहार	लोहार चौक पुरानी बस्ती रायपुर.
19.	श्री माखन वासुदेव	वासुदेव	अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी, रायपुर.
20.	श्री रविप्रकाशराव	भाट	राम आर्ट अमरदीप टाकीज रायपुर.
21.	श्री विपिन नामदेव	नामदेव	स्मृति न्यू शांतिनगर रायपुर.
22.	श्री सहस राम कर्ष	धोबी	ग्राम सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा.
23.	श्रीमती सुधा कसार	कसार	रायपुर
24.	कमलेश्वर वर्मा	लोधी	मु. पो. ,खैरागढ़, जिला राजनांदगांव.
25.	श्री बजरंग सिंह रौतिया.	रौतिया	मु. पो. भैनापारा, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़.
26.	श्री मारकण्डेय मैत्री	मोवार	मु. पो. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा.
27.	श्री तीरथ राम तुरिया	तूरी	मु. पो. भूपदेवपुर, जिला रायगढ़.
28.	श्री गेंदलाल सारथी	सूत	सारथी चौक लाखेनगर, रायपुर.
29.	डॉ. सुखनन्दन सोनकर.	सोनकर	टिल्लू चौक लाखेनगर, रायपुर.
30.	श्री डिलेश्वरप्रदसाद धोरिया	धोरिया	पो. बंजारी जेवरा, तह. सारंगढ़, जिला रायगढ़.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-4-75/गृह/2001.—पुलिस एक्ट, 1861 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य का समस्त पुलिस बल दिनांक 1 नवम्बर, 2000 से अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत वे समस्त अधिकारी एवं अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी समाहित होंगे, जैसा कि राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर विनिश्चित करें. मध्यप्रदेश राज्य शासन के द्वारा जिन अधिकारियों एवं अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने पर आवंटित किया गया, वे स्वत: छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के सदस्य हो जावेंगे. उनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें भी उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश में थी, जब तक कि उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अन्यथा विनिश्चित अथवा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-4-75/गृह/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 23 अप्रैल, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd April 2003

No. F-4-75/Home/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Police Act, 1861 the State Government hereby notified that the entire police establishment under the Chhattisgarh State comes into being w.e.f. 1-11-2000 and will consist of as many number of officers and subordinate ranks as from time to time determined by the State Government. Officers and subordinate ranks allotted to Chhattisgarh State after creation of the new State from Madhya Pradesh will automatically be members of this force. Their Pay and other conditions of service will be the same as it was in the erstwhile undivided State of Madhya Pradesh unless determined or altered otherwise by the specific orders of the Chhattisgarh Government.

By order and in the name of the Governor,
of Chhattisgarh,
Y. K. S. THAKUR, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2003

क्रमांक एफ-3-60/दो/गृह/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-3-60/दो/गृह/2002 दिनांक 13-12-2002 में आंशिक संशोधन करते हुये नवनिर्मित पुलिस जिला नारायणपुर में सम्मिलित थानों की सूची के स. क्र. 3 थाना धनोरा को पुलिस जिला नारायणपुर से पृथक् कर पुलिस जिला बस्तर में सम्मिलित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक एफ 73-57/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम ,2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "विश्वभारती यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "विश्वभारती यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 26th May 2003

No. F 73-57/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "VISWABHARATHI UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G).

2. The State Government, hereby, authorises "VISWABHARATHI UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 3932/1891/2003.—राज्य शासन के निर्णय अनुसार नीचे उल्लिखित अनुविभाग एवं तहसीलों का नाम परिवर्तित कर निम्नानुसार किया जाता है.

स.क्र. (1)	अनुविभाग एवं तहसील का नाम (2)	अनुविभाग एवं तहसील का परिवर्तित नाम (3)
1.	कवर्धा	"कबीर धाम"
2.	दन्तेवाड़ा	"दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा"
3.	कांकेर	"उत्तर बस्तर कांकेर"

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 3948/राजस्व/2003.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1) 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, सत्रह तथा अठारह के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लिखित तथा वर्णित जिला सरगुजा के नगर कुसमी के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारिणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिए अनुमोदित किया है जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिए या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिए जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्र.	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग-फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें (रुपए में)		प्रति 10 वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें (रुपए में)	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1.	कुसमी	0.90	5.00	0.96	5.37

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 मई 2003

क्रमांक 905/प्र. 1/अविअ/2003.--माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट याचिका क्रमांक 3776/97 एवं 4933/97 में पारित आदेश दिनांक 23-10-2002 के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 2095/15 पर प्रकाशित उक्त प्रकरण की भूमि से संबंधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत क्रमश: प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 15/अ-82/95-96 दिनांक 18-6-98 का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन एवं दिनांक 29-12-95 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 5-1-96 में अर्जित भूमि 178.31 एकड़ में से अनुसूची में वर्णित भूमि रकबा 1.07 एकड़ पर विभाग का कब्जा नहीं है, की आवश्यकता नहीं होने से अवार्ड दिनांक 18-6-98 से वापस मुक्त किया जाता है.

अनुसूची

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	जिला	अर्जन से वापस मुक्त किये जाने वाली भूमि का विवरण			उद्देश्य जिस हेतु अर्जन प्रस्तावित था
			खसरा नं.	क्षेत्रफल		
				एकड़	वर्गफुट	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जंजगिरी	धमधा	दुर्ग	673/7	0.64	27720	पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड.
			673/14	0.30	13050	
			673/15	0.13	5595	
			3	1.07	46365	

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 747/ले. पा./भू-अर्जन/2003.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	डंगनिया	1.89	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पचपेढ़ी जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 748/ले. पा./भू-अर्जन/2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	परसदा	7.50	कार्यपालन यंत्री, तादुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पचपेढ़ी जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 749/ले. पा./भू-अर्जन/2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	देवरी	10.47	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पचपेढ़ी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2003

क्र. 2384/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 69/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-89. 87 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
47	0.26
50	0.35
49/2	0.13
44	0.23
52	0.41
56	0.21
57	0.89
40/1	0.57
58/1	0.31
58/3	0.46
40/2	0.57
45	0.17
58/2	0.34
41	0.47
42	0.13
43	0.61
46	0.26
59	0.10
61	0.36
455	0.33
49/1	0.13
51/1	0.41
60/1	0.03
51/2	0.40
60/2	0.02
53	0.46
54/1	0.74
54/2	0.22
508/1	0.19
54/3	0.18
54/6	0.52
54/4	0.15
54/5	0.11
508/2	0.19
55	0.24
511	0.85
385/3	0.56
453/1	0.23
453/3	0.13
386/1	0.61
387	0.40
512	1.66
388	0.46
389	0.96
393/2	0.37
393/3	0.52
393/4	0.23
467/2	0.32
467/3	0.40
467/4	0.82
492	0.93
517	0.97
390	1.05
391	0.29
475	0.43
392	0.30
473/5	0.56
474	0.43
393/1	0.80

(1)	(2)
393/6	0.50
393/9	0.50
466	0.97
393/5	0.08
393/7	0.46
393/12	0.68
393/8	0.16
393/10	0.21
393/11	0.14
395	0.45
489	0.90
459	0.37
396	0.23
400/2	0.12
398	1.01
488	2.68
460	0.21
399	0.86
400/1	0.26
400/3	0.36
400/4	0.52
400/5	0.63
401	2.31
423	0.66
402/1	0.26
402/2	0.13
454/2	0.71
497	1.00
402/3	0.17
454/3	0.12
402/4	0.26
402/5	0.14
402/6	0.14
513/9	0.10
403	0.90
462	0.80
404	0.27
405	1.00
406	1.00
407	0.93
408/2	1.00
503/1	0.25

(1)	(2)
408/3	0.46
513/3	0.09
513/4	0.08
408/4	1.24
408/5	0.14
409/1	0.08
409/2	0.29
410	0.22
412/1	0.46
412/2	0.42
452	0.46
453/2	0.42
454	0.10
461/1	1.40
479	0.10
461/2	0.18
463/1	0.43
463/4	0.37
462/2	0.81
463/3	0.24
463/6	0.29
463/5	0.52
464	0.27
465	2.47
467/1	0.91
470	0.14
473/1	0.54
473/2	0.34
473/4	0.22
473/3	0.27
476	2.81
477	1.01
481	0.22
483	2.42
484/1	0.54
484/2	0.54
485/1	0.28
487/2	0.26
485/2	0.27
486	0.17
487/1	0.27
490	1.35

(1)	(2)
491	2.53
513/2	0.10
493/1	0.16
431	0.08
493/2	0.09
495/2	0.09
494	0.50
495/1	0.16
496	0.60
498	1.30
500	0.20
516/3	0.52
503/2	0.35
437	0.25
510	0.54
513/1	0.18
513/5	0.40
513/6	0.12
513/7	0.18
513/8	0.10
513/10	0.12
513/11	0.12
513/12	0.12
514	1.46
518	0.75
519	0.14
515	0.74
516/1	0.30
516/2	0.24
533	0.36
446/1	1.65
450	0.15
446/2	0.34
429	0.91
419/4	0.04
योग 178	89.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय के बांध पार एवं डुबान क्षेत्र के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1129/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-तालदेवरी, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.274 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3017/1	0.024
1774/1 ख	0.182
2069	0.012
2057	0.016
2058	
2078	0.040
योग 5	0.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा) जिला बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2003

क्रमांक 1031A/पं./एफ-234/2003.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 126 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को **प्रयोग में लाते** हुए मैं, एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर बस्तर अनुक्रमांक 4 में वर्णित ग्रामों को जो छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 4 सितम्बर 2002 **में प्रकाशित अधिसूचना** क्रमांक 4719/18/2002 दिनांक 3 सितम्बर 2002 के अनुसार नगरपालिका परिषद् जगदलपुर जिला बस्तर की वर्तमान सीमा में नीचे दी गई सारणी अनुसार सम्मिलित होने के फलस्वरूप ग्रामों का विघटन (डिस्टेब्लिसमेंट) किया जाता है.

सारणी

जिला	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम का नाम	जनसंख्या	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	1. सरगीपाल (शहर)	सरगीपाल (शहर)	3527	नगर निगम जगदलपुर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप
		2. हाटकचोरा	1. हाटकचोरा	4836	"
			2. जगदलपुर देहात	326	"
			3. पखनागुड़ा	746	"
		3. अघनपुर	1. अघनपुर	2862	"
			2. कंगोली ग्राम	124	"
		4. कंगोली शहरी	कंगोली शहरी	1832	"
		5. धरमपुरा	धरमपुरा	2161	"
		6. फ्रेजरपुर	फ्रेजरपुर	4996	"
		7. कालीपुर	कोहकापाल	136	"
		8. आसना	आसना अंशतः	437	"
		9. करकापाल	करकापाल अंशतः	465	"

एल. एन. सूर्यवंशी,
कलेक्टर.

राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2003

क्रमांक 645/अधीक्षक/रा. मं./03.—राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ में पदस्थ अध्यक्ष एवं सदस्य के मध्य वाणिज्यिक कर प्रकरणों की सुनवाई के लिए कार्य-विभाजन की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है. यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगा.

(एक) राजस्व मंडल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी रचना निम्नानुसार होगी :—

(1) अध्यक्ष, राजस्व मंडल एवं

(2) सदस्य राजस्व मंडल,

(दो) वाणिज्यिक कर से संबंधित प्रकरणों के निराकरण छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का क्षेत्राधिकार.

क्रमांक (1)	अध्यक्ष/सदस्य (2)	क्षेत्राधिकार (3)
1.	श्री बी. के. एस. रे अध्यक्ष राजस्व मंडल (छ. ग.)	राजस्व जिला रायपुर, धमतरी, महासमंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा.
2.	श्री नारायण सिंह सदस्य राजस्व मंडल (छ. ग.)	राजस्व जिला बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया (बैकुंठपुर).

(तीन) स्थगन आवेदन-पत्र :—

अध्यक्ष अथवा सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के वाणिज्यिक कर से संबंधी प्रकरणों में स्थगन आवेदन-**पत्रों की सुनवाई की** व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी :—

क्रमांक (1)	**अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य** (2)	सुनवाई हेतु न्यायालय (3)
1.	श्री बी. के. एस. रे अध्यक्ष राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़	श्री नारायण सिंह सदस्य राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़
2.	श्री नारायण सिंह सदस्य राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़	श्री बी. के. एस. रे अध्यक्ष राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़

(चार) विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जावेगा.

(पांच) वाणिज्यिक कर के प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस :—

1.	श्री बी. के. एस. रे अध्यक्ष राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़	(1)	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.
		(2)	सर्किट कोर्ट, जगदलपुर अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा समय-समय पर नियत तिथि को.
		(3)	राजस्व मंडल मुख्यालय, बिलासपुर में गुरुवार एवं शुक्रवार को
2.	श्री नारायण सिंह सदस्य राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़		सामान्यतः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को.

(छः) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत समय :—

(1) वाणिज्यिक कर संबंधी प्रकरणों की सुनवाई कार्य-दिवसों में सामान्यतः प्रातः 11-00 बजे से आरंभ होकर अपरान्ह 1-30 बजे तक तथा पूर्वान्ह में 3-00 बजे से

(2) शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

बी. के. एस. रे,
अध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14/2002/न. पं./18 दिनांक 4-1-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)	पटवारी हल्का क्रमांक (4)
1.	बिश्रामपुर	11313	40

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" बिश्रामपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बिश्रामपुर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत बिश्रामपुर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

विस्थापित ग्राम पंचायत बिश्रामपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)	पटवारी हल्का क्रमांक (4)
1.	बिश्रामपुर	11313	40

अनुसूची-2

विस्थापित ग्राम पंचायत बिश्रामपुर की सीमाएं निम्नानुसार है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बिश्रामपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत बिश्रामपुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/14/2003/UAD/18 dated 4-1-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No. (1)	Name of Gram (2)	Population (3)	Patwari Circle No. (4)
1.	Bishrampur	11313	40

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

No. (1)	Name of Village (2)	Population (3)	P. H. No. (4)
1.	Bishrampur	11313	40

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Bishrampur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित ''ग्राम पंचायत'' को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप ''पंचायत राज अधिनियम'' 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित ''ग्राम'' को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित ''ग्राम'' का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	वाड्रफनगर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित ''ग्राम'' वाड्रफनगर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत वाड्रफनगर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत वाड्रफनगर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	वाड्रफनगर

अनुसूची-2

विस्थापित ग्राम पंचायत वाड्रफनगर की सीमाएं निम्नानुसार है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत वाड्रफनगर की सीमाएं ही नगर पंचायत वाड्रफनगर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constituion of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Wadrafnagar

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for consstitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Wadrafnagar

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Wadrafnagar.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	कुसमी

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" कुसमी की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कुसमी की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कुसमी जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित ग्राम पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	कुसमी

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" कुसमी की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कुसमी की सीमाएं ही नगर पंचायत कुसमी की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In referencc of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Kusmi

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 199., I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Kusmi

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Kusmi.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	प्रतापपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" प्रतापपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत प्रतापपुर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत प्रतापपुर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	प्रतापपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" प्रतापपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत प्रतापपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत प्रतापपुर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Pratappur

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 199., I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Pratappur

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Pratappur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	राजपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" राजपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत राजपुर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत राजपुर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	राजपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" राजपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत राजपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत राजपुर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I. Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Rajpur

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Rajpur

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Rajpur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	लखनपुर .

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" लखनपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत लखनपुर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत लखनपुर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित ग्राम पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	लखनपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" लखनपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत लखनपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत लखनपुर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Lakhanpur

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablishted the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Lakhanpur

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Lakhanpur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	बलरामपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" बलरामपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बलरामपुर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ,विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत बलरामपुर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित ग्राम पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	बलरामपुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" पंचायत बलरामपुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बलरामपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत बलरामपुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I. Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Balrampur

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Balrampur

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Balrampur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	सीतापुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" सीतापुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सीतापुर की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत सीतापुर जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	सीतापुर

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" सीतापुर की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सीतापुर की सीमाएं ही नगर पंचायत सीतापुर की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Sitapur

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Sitapur

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Sitapur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

अंबिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-06/2003/न. पं./18 दिनांक 1-2-2003 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगर पंचायत गठन हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम" को नगर पंचायत गठित किये जाने हेतु विस्थापित करने का अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित "ग्राम" का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	भटगांव

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" भटगांव की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत भटगांव की संपूर्ण सीमा.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2003

क्रमांक 284/पंचा./2003.—पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 में निहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर जिला सरगुजा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत भटगांव जिला सरगुजा को नगर पंचायत गठित किये जाने के प्रयोजन हेतु विस्थापित करने की अभिप्राय प्रकट करता हूं.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत हेतु विस्थापित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	भटगांव

अनुसूची-2

नगर पंचायत गठन हेतु विस्थापित "ग्राम" पंचायत भटगांव की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत भटगांव की सीमाएं ही नगर पंचायत भटगांव की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. F-1/06/2003/UAD/18 dated 1-2-2003 the Government signify there intention to constitute A Nagar Panchayat in place of Gram Panchayat as given in schedule below. For that purpose I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja Disestablished the Gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

SCHEDULE-1

For constitution of Nagar Panchayat Disestablished "Gram" in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Bhatgaon

SCHEDULE-2

The boundaries of disestablished "Gram" and Gram Panchayat is the boundaries of present Gram Panchayat.

Any person are any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) with him seven days from the date of publication of the intention in "Chhattisgarh Rajpatra".

Ambikapur, the 19th February 2003

No. 284/Panchayat/2003.—In exercise Power conferred by section 126 of Panchayat Raj Adhiniyam 1993, I, Vivek Kumar Dewangan, Collector District Surguja hereby disestablished the "Gram" and Gram Panchayat for constitution of Nagar Panchayat as given in schedule below.

SCHEDULE-I

The Particular of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat in as under :—

S. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Bhatgaon

SCHEDULE-II

The boundaries of the disestablished "Gram" and Gram Panchayat to the present boundaries of the Gram Panchayat Bhatgaon.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the concerned sub divisional office (revenue) on any official day and time within seven day of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra".

विवेक कुमार देवांगन
कलेक्टर.

अंबिकापुर, दिनांक 6 मार्च 2003

क्रमांक 508/पंचायत/2003.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 4944/18/2002/ रायपुर दिनांक 1 अक्टूबर 2002 में उल्लेखित "ग्राम पंचायत" को नगरपालिका परिषद् अम्बिकापुर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप "पंचायत राज अधिनियम" 1993 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, मैं, विवेक कुमार देवांगन कलेक्टर जिला सरगुजा निम्न अनुसूची के अनुसार उल्लेखित "ग्राम"/ग्राम पंचायत को नगरपालिका परिषद् अम्बिकापुर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम/ग्राम पंचायतों को विस्थापित करता हूं.

अनुसूची-1

जिला सरगुजा की नगरपालिका परिषद् अम्बिकापुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है :—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये जाने वाले सम्मिलित ग्राम	प. ह. नं.	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	फुन्दूरडीहारी	फुन्दूरडीहारी	18	
		नमनाकला	नमनाकला	18	
		मणीपुर	मणीपुर	28	
			पचपेढ़ी	28	
		खैरवार	मायापुर	17	
		जगदीशपुर	लक्ष्मीपुर	19	

विवेक कुमार देवांगन,
कलेक्टर.

अम्बिकापुर, दिनांक 6 मार्च 2003

क्रमांक 508/पंचायत/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 का अनुकूलन आदेश 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा ग्राम/ग्राम पंचायत-फन्दूरडीहारी, नमनाकला, मणीपुर, पचपेढ़ी, मायापुर एवं लक्ष्मीपुर को विस्थापित प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर.

Ambikapur, the 6th March 2003

No. 508/Panchayat/2003.—In reference of gazette Notification of Government of Chhattisgarh Environment & Urban Development Department No. 4944/18/2002/1 October 2002 the Government decided to include following village gram panchayats with in the limit of Municipal Council Ambikapur District Surguja as given in below schedule.

SCHEDULE-I

Distt.	Name of the Block	Name of the Gram	Name of discountitute villages related with Gram Panchayat	P. H. No.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Surguja	Ambikapur	Phundurdihari	Phundurdihari	18	
		Namnakala	Namnakala	18	
		Manipur	Manipur	28	
			Pachpedi	28	
		Khairbar	Mayapur	17	
		Jagdishpur	Lazmipur	19	

For above purpose. I Vivek Kumar Dewangan Collector Distt. Surguja Disestablshed the gram/gram Panchayat in exercise of the power given in Panchayat Raj Adhiniyam 1993 in section 126.

Vivek Kumar Dewangan,
Collector.